संख्या–1135 /XVIII-(2)/15-4(43)/2015

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम् ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 16 अप्रैल,2015

विषयः– **वर्ष 2013–14 में भागीरथी नदी में बाढ़ से सुरक्षा के दृष्टिगत तटवर्ती क्षेत्रों में लगाये गये वायरक्रेट भुगतान हेतु मुख्यमंत्री (आपदा प्रबन्धन) राहत कोष से धनाबंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–689/तेरह–कैम्प(डी0एम0)/2013–14 दिनांक 28सितम्बर,2014,अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड,उत्तरकाशी के पत्र सं0–398/सि0ख0/ऍ–3(ए) दिनांक 06 फरवरी,2015 तथा मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र सं0–सी0–28/मु0अ0/गढ़वाल/कैम्प दिनांक 07फरवरी,2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 16/17 जून, 2013 को अतिवृष्टि के कारण भागीरथी नदी में आयी बाढ़ से तहसील डुण्डा के अन्तर्गत मातली से डुण्डा तक तथा तहसील भटवाड़ी के अन्तर्गत गंगोत्री धाम में आबादी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु लगाये गये वायरक्रेट कार्य हेतु ₹ 105.30 लाख **(₹ एक करोड़ पॉच लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि का चैक संख्या– 957953 दिनांक 16.4.2015 मुख्यमंत्री (आपदा प्रबन्धन) राहत कोष से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सिचाई विभाग के पक्ष में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह धनराशि स्वीकृति की जा रही है।

3– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा सभी कार्यो के आगणन/धनराशि के औचित्य व तात्कालिकता के बिन्दु पर पुनः मत स्थिर करते हुए व्यय करने पर विचार किया जायेगा। आगणन की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

7– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष,/आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम. –10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध

में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्ययोपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि 'मुख्यमंत्री (आपदा प्रबन्धन) राहत कोष ' के नाम शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

9– स्वीकृत धनराशि ₹ 105.30 लाख (**₹ एक करोड़ पॉच लाख तीस हजार मात्र**) का चैक सं0..... 957953 दिनांक 16.4.2015 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसकी प्राप्ति रसीद शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

संलग्नक :– चैक सं0 957953 दिनांक 16.4.2015

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या–1135(1)/XVIII-(2)/15-4(15)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
7– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून।
11– प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक सचिवालय परिसर,देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव